

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3943
18.08.2025 को उत्तर के लिए

मानव-हाथी संघर्ष

3943. श्री रुद्र नारायण पाणी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ओडिशा में मानव-हाथी संघर्ष दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ढैकनाल और अंगुल जिलों में मनुष्य और हाथी मृत्यु सबसे अधिक संख्या में हुई है;
- (घ) यदि हां, तो वन-क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (च) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) ओडिशा राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव मौतों तथा रेलगाड़ी से टक्कर होने, बिजली से करंट लगने, अवैध शिकार किए जाने और जहर देने जैसे विभिन्न कारणों से हुई हाथियों की मौतों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इन संघर्षों के कारण हुई मानवों और हाथियों की मौतों से संबंधित वन-रेज वार आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के शमन और प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-हाथी संघर्षों की समस्याओं का समाधान करते हैं जिसके तहत आम जनता को समय-समय पर मानव-पशु संघर्ष के बारे में संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन एवं सलाह देने जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। साथ ही विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए तत्संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग हाथियों की आवाजाही की निगरानी करने तथा मानव-पशु संघर्ष का टालने, मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को होने वाली क्षति या हानि को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को सचेत करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्य जीव की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक प्रकार्यों का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष का निराकरण करने के लिए 'मानव-हाथी संघर्ष का शमन - सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व इष्टिकोण अपनाने संबंधी दिशानिर्देश (2023)' जारी किए हैं। इसके अलावा, संचालन समिति की दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को हुई 16वीं बैठक के दौरान 'मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के संबंध में फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए फील्ड मैनुअल' भी जारी किया गया था।

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, जंगली हाथियों के कारण लोगों के जान-माल की हुई हानि के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। केंद्रीय सरकार देश में मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के निराकरण तथा बंदी हाथियों के कल्याण हेतु हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों के संरक्षण हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - 'बाघ और हाथी परियोजना (सीएसएस-पीटीएंडई)' के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

‘मानव-हाथी संघर्ष’ के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ओडिशा में हाथियों के हमले के कारण हुई मानव मौत

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
मानव मौतों की संख्या	148	154	143

ओडिशा में रेलगाड़ी से टक्कर होने, बिजली से करंट लगने, अवैध-शिकार किए जाने और जहर देने जैसे विभिन्न कारणों से हुई हाथियों की मौत

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
रेलगाड़ी से टक्कर	3	5	3
बिजली से करंट	26	15	33
अवैध-शिकार	8	3	4
जहर	0	0	0
